राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2301/2025

सुचित्रा ढाका

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, शोभासर, सुजानगढ से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Sandwa बिदासर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह प्रकट किया है कि अपीलार्थी ने उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना में स्थानान्तरित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को गलत रूप से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्य करना नहीं चाहता है और वह अपना प्रतिवर्तन हिन्दी माध्यम विद्यालय में कराना चाहता है, परन्तु अपीलार्थी से प्रतिवर्तन के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अधिशेष घोषित किया गया था और अपीलार्थी का पदस्थापन पुनः महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में ही किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी प्रतिवर्तन के द्वारा पुनः राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में जाना

चाहता था। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी ने अपने कैडर से प्रतिवर्तन हेतु विकल्प/आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो। ऐसे में अपीलार्थी का वर्तमान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय से अन्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में स्थानान्तरण किये जाने में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी यदि भविष्य में राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में जाने हेतु प्रतिवर्तन चाहता है तो उसके लिये अपना विकल्प/आवेदन पत्र प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील खारिज की जाती है।

6. यहां यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर राजस्थान द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र दिनांक 26.04.2023 जारी किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साक्षात्कार से पदस्थापित कर्मचारियों के प्रतिवर्तन आवेदन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, जिसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये थे कि वे अपने परिक्षेत्र में शामिल महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विद्यालय में पदस्थापित प्रतिवर्तन के इच्छुक कार्मिक से विकल्प/आवेदन प्राप्त कर दिनांक 05.05.2023 तक भिजवाने का श्रम करें ताकि प्रतिवर्तन से होने वाली भावी रिक्तियों को भी नयी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। स्पष्ट है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा समायोजन की प्रक्रिया के समय प्रतिवर्तन हेतु विकल्प लिये जाने का भी प्रावधान रखा गया था। उपरोक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी अधिशेष होने के उपरान्त अपना प्रतिवर्तन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन चाहता है तो इस हेतु उक्त पत्र दिनांक 26.04.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपना विकल्प/आवेदन पत्र प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अपीलार्थी द्वारा अपना प्रतिवर्तन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)